


# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## ::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी-2/45002/प्रधानाचार्य/स्थानान्तरण/2021 दिनांक 02.02.2021 द्वारा श्री रामकरण यादव, प्रधानाचार्य, राउमावि नांगल भरड़ा, गोविन्दगढ जिला जयपुर का स्थानान्तरण राउमावि करनवास जिला झालावाड़ किया गया था। उक्त आदेश के विरुद्ध श्री रामकरण यादव द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 1139/2021 रामकरण यादव बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 1139/2021 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 15.02.2021 द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 02.02.2021 का प्रभाव एवं क्रियान्वयन अपीलार्थी श्री रामकरण यादव के पदस्थापन के सम्बन्ध में माननीय अधिकरण के आगामी आदेश तक स्थगित किया गया है।

श्री रामकरण यादव द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर अपना समायोजन राउमावि हरिपुरा, बुर्जा की ढाणी जिला सीकर/शहीद सुबेदार पूरणमल शर्मा राउमावि सांवलपुरा शेखावतन, नीम का थाना जिला सीकर अथवा राउमावि कंचनपुर, श्रीमाधोपुर जिला सीकर में प्रधानाचार्य के किसी रिक्त पद पर किये जाने का निवेदन किया गया। श्री यादव के उक्त अनुरोध को स्वीकार करते हुए इनका समायोजन शहीद सुबेदार पूरणमल शर्मा राउमावि सांवलपुरा शेखावतन, नीम का थाना जिला सीकर में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर किया जाता है।


  
(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-मा./संस्था/बी-2/अपील/रामकरण यादव/1139/2021/208 दिनांक: 24/02/2021  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर/चूरु संभाग, जयपुर/चूरु।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर/सीकर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, जयपुर/सीकर।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. सम्बन्धित प्रधानाचार्य को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

  
√ संयुक्त निदेशक(कार्मिक)